ग्राम पंचायत पालरी खुर्द बनाम ईश्वर एवं अन्य
(अनिल क्षेत्रपाल, ज.)

अनिल क्षेत्रपाल, ज. के समक्ष

ग्राम पंचायत पलारीखुर्द-अपीलकर्ता
बनाम
ईश्वर एवं अन्य- प्रतिवादी

आर.एस.ए. नं.4309/2014
3 फरवरी 2020

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, **1961** (जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है), एस. एस. **2** (जी), **13**-पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, **1882**-एस. **45**-आयोजित, पार्टियां दलीलों का चतुराई से मसौदा तैयार करके सिविल कोर्ट की अधिकारिता के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार को दरकिनार नहीं कर सकती हैं-जब भी कोई पक्ष अदालत के समक्ष दावा करता है कि संपत्ति शामलात देह है और अन्य पक्ष अधिकार क्षेत्र पर विवाद करता है तो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है-इसके अलावा, सिविल कोर्ट को वाद की रखरखाव के सवाल का फैसला करने पर दलीलों और साक्ष्य (दस्तावेजी और मौखिक) की जांच करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है-अपील की अनुमति दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 13 को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जब भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि संपत्ति शामलात देह है या नहीं, तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित हो जाता है। महत्वपूर्ण शब्द शामलात देह हैं या नहीं। इस प्रकार, जब भी सिविल न्यायालय के समक्ष एक पक्ष यह दावा करता है कि संपत्ति शामलात देह और अन्य पक्ष विवाद करता है, तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बाहर रखा जाता है। वाद के पक्षकारों को चालाकी से अभिवचनों का मसौदा तैयार करके सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह दीवानी मुकदमे में आवश्यक निर्धारण के मुद्दे के सार की जांच करे और उसके बाद इस प्रश्न पर निर्णय दे कि दीवानी न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में,उपरोक्त निर्णय अब्दुल्ला बिन अली और अन्य बनाम गालप्पा और अन्य 1985(2)एस. सी. सी. 54 अनुपात निर्णय के रूप में यह निर्धारित नहीं करता है कि दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमे की स्थिरता पर रोक के

प्रश्न पर निर्णय लेते समय, मुकदमे को दोनों पक्षों द्वारा दी गयी दलीलो वा साक्ष्यो (दस्तावेजी और मौखिक) की जांच करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील की दलीलें स्वीकार की जाती हैं, तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए वैधानिक प्रतिबंध से।अभियोग का चतुराई से मसौदा तैयार करके आसानी से बचा जा सकता है। इस तरह का इरादा कानून का नहीं हो सकता। (पैरा 13)

सुमित सांगवान, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।
विक्रम पुनिया, प्रतिवादीगण के वकील।

अनिल क्षेत्रपाल, ज.

(1) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1. पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (जैसा कि हरियाणा में लागू होता है) (जिसे इसके बाद "1961 एक्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13 के तहत दीवानी मुकदमे पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सिविल कोर्ट की अधिकारिता वर्जित है या नहीं, यदि निर्णय के लिए सवाल यह है कि मुकदमा संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित के अनुसार शामलात देह है या नहीं।

क्या अंत में दीवानी मुकदमे का निर्णय करते समय, अदालत को दीवानी अदालत के समक्ष दीवानी मुकदमे की स्थिरता के सवाल पर निर्णय लेने से पहले दलीलों, पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य (दस्तावेजी और मौखिक) पर विचार करने की आवश्यकता है या केवल वाद में किए गए कथनों की जांच की जानी है।

(2) प्रतिवादी/अपीलार्थी-ग्राम पंचायत ने निचली न्यायालयों द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है। वादी ने दलील दी है कि 109 कनाल 14 मरला की भूमि गाँव के मालिकों के स्वामित्व में है और बिना किसी हस्तक्षेप के कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही है। यह दलील दी गई थी कि राजस्व रिकॉर्ड में, भूमि को गाँव के मालिकों के स्वामित्व में दर्ज किया गया था और प्रविष्टी हसब रसद रक्बा खेवट था। हालाँकि, बाद में, उत्परिवर्तन/

म्यूटेशन संख्या 322 दिनांकित 26.07.1955 को मंजूरी दे दी गई है और गाँव के वादी/मालिकों को सूचित किए बिना ग्राम पंचायत के नाम पर भूमि दर्ज की गई है। उपरोक्त उत्परिवर्तन पत्र संख्या 782 ए. सी. एच.-54/305 दिनांकित 16.11.1954 के माध्यम से सरकार से कुछ संचार के आधार पर है।

(3) प्रतिवादी-ग्राम पंचायत ने मुकदमे का विरोध किया और दलील दी कि दीवानी अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने, विचार करने या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि विवादित भूमि ग्राम पंचायत में निहित है। जवाब दावा में यह दावा किया गया था कि भूमि शामलात देह है और इसलिए, ग्राम पंचायत के पास निहित है और गाँव में विभिन्न सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(4) विद्वत सिविल न्यायालय ने अभिवचनों की जांच करने पर निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक मुद्दा तैयार किया:-

> "3. क्या दीवानी न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?ओपीडी "

(5) निचली दोनों न्यायालयों ने लेहना सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अब्दुल्ला बिन अली और अन्य बनाम गलप्पा और अन्य 2 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है कि दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमे की स्थिरता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, केवल वाद में किए गए दावों/कथनों की जांच की आवश्यकता है।

(6) इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 1961 के अधिनियम के लागू होने से पहले स्वामित्व कॉलम प्रविष्टि में विवादित भूमि शामलात देह हसब रसद रक्बा थी, जबकि खेती कॉलम में, यह विभिन्न सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने के लिए दर्ज किया गया था। बेशक भूमि का कुछ हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे में दर्ज किया गया था।

(7) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से, निचली दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन किया है।

(8) एक ओर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सिविल न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा है कि क्या वाद संपत्ति शामलात देह है या नहीं और इसलिए, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 1961 अधिनियम की धारा 13 के तहत वर्जित है। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मुकदमे में किया गया अनुरोध केवल एक उत्परिवर्तन/म्यूटेशन को अलग करने और राजस्व प्रविष्टी को सही करने के लिए था और इसलिए, दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है। उन्होंने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1882 की धारा 45 का उल्लेख किया।यह दावा करने के लिए कि इस तरह का दीवानी मुकदमा बहुत अधिक विचारणीय है।

(9) पक्षकारों के विद्वान वकीलों की संबंधित दलीलों को ध्यान में रखते हुए, कानून के प्रश्न, जो तैयार किए गए हैं, विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। इस स्तर पर, 1961 के अधिनियम की धारा 13 और 13-ए को निम्नानुसार निकालना उचित होगाः-

> **"13.** किसी भी दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
>
> (क) किसी भी प्रश्न पर विचार करना या निर्णय लेना कि क्या-
>
> (i) कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति शामलात देह है या नहीं;
>
> (ii) कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत किसी पंचायत में निहित है या निहित नहीं है;
>
> (ख) किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसे किसी राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित करने का अधिकार है;
>
> या
>
> (ग) इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए सशक्त किसी भी राजस्व अदालत, अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या मामले की वैधता पर सवाल उठाना।
>
> **13(क).** निर्णय
>
> (1) कोई भी व्यक्ति या पंचायत के मामले में या तो पंचायत या उसके ग्राम सचिव, संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी, सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या समझी गई किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करता है, निर्णय के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, चाहे वह भूमि या अन्य अचल संपत्ति शामलात देह है या नहीं और क्या कोई

भूमि या अन्य अचल संपत्ति या उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत किसी पंचायत में , कलेक्टर के न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, निहित है या नहीं।

बशर्ते कि भूमि या अन्य अचल संपत्ति के संबंध में इस धारा के तहत कोई मुकदमा नहीं होगा, जो कि धारा 7 इस अधिनियम के तहत कार्यवाही का विषय रहा है।जिसके तहत अधिकार का सवाल उठाया गया है और निर्णय लिया गया है या निर्णय के तहत है।

(2)उप-धारा (1) के तहत मुकदमों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया वही होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) में निर्धारित की गई है।

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 45 भी निम्नानुसार निकाली गई हैः-

"45. किसी अभिलेख में किसी प्रविष्टी से व्यथित द्वारा हस्ताक्षरित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए मुकदमा

यदि कोई व्यक्ति स्वयं को किसी ऐसे अधिकार के बारे में व्यथित समझता है जिसके अधिकार उसके पास हैं, तो वह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अध्याय VI के तहत अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

(10) 1961 के अधिनियम की धारा 13 को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जब भी यह सवाल उठता है कि संपत्ति शामलात देह है या नहीं, तो दीवानी न्यायालय की अधिकारिता बाधित होती है। महत्वपूर्ण शब्द है-शामलात देह या नहीं। इस प्रकार, जब भी सिविल न्यायालय के समक्ष एक पक्ष यह दावा करता है कि संपत्ति शामलात देह है और अन्य पक्ष विवाद करता है, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाहर हो जाता है। वाद के पक्षकारों को चालाकी से अभिवचनों का मसौदा तैयार करके सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह दीवानी मुकदमे में आवश्यक निर्धारण के मुद्दे के सार की जांच करे और उसके बाद इस प्रश्न पर निर्णय दे कि दीवानी न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं।

(11) आइए अब हम पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किये गए निर्णयों की जांच करें। इस न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान से पढ़ा है। लेहना सिंह (उपरोक्त) के मामले में, शुरुआत में, यह न्यायालय यह अवलोकन करने के लिए मजबूर है कि कभी-कभी निचली न्यायालय पूरी तरह से पढ़े और समझे बिना निर्णयों पर भरोसा करते हैं। उपरोक्त निर्णय

का दीवानी न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। उपरोक्त मामले में, एक गाँव का क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आ गया था। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि नगरपालिका समिति के पक्ष में दर्ज किया गया परिवर्तन/ म्यूटेशन सही नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं, पक्षकारों को वैकल्पिक उपचार के लिए बाध्य कर दिया। उस संदर्भ में, यह देखा गया कि कोई भी व्यक्ति यह मानते हुए कि वह किसी भी अधिकार के बारे में व्यथित है, जिसके अधिकार उसके पास हैं, अधिकारों के रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि द्वारा अपने सिविल कोर्ट में घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय कानून के एक प्रस्ताव के रूप में यह निर्धारित नहीं करता है कि दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, भले ही एक पक्ष द्वारा यह दावा किया गया हो कि संपत्ति शामलात देह है।

(12) इस अदालत ने अब्दुल्ला बिन अली (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को भी ध्यान से पढ़ा है। उपरोक्त मामले में भी, शुरू में तहसीलदार के समक्ष इस आरोप के साथ एक आवेदन दायर किया गया था कि उसने केवल एक बंधक विलेख को निष्पादित किया था, न कि एक बिक्री विलेख को। तहसीलदार जाँच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। अपील को भी खारिज कर दिया गया और पक्षों को शिकायतों के उचित निवारण के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, विवादित भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था जिसका फैसला सुनाया गया था। इसके बाद, किराए की राशि की वसूली के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। किरायेदारी रजिस्टर में सुधार के लिए भी कार्यवाही शुरू की गई थी। किरायेदार ने स्वामित्व से इनकार कर दिया था। उन परिस्थितियों में, न्यायालय ने वाद पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता के मुद्दे की जांच की और पाया कि मंच पर निर्णय लेने के लिए वाद में लगाए गए आरोपों की जांच करने की आवश्यकता है। जिन प्रासंगिक टिप्पणियों पर प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील ने बहुत जोर दिया है, उन्हें नीचे दिया गया हैः

> "5. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप मंच का फैसला करते हैं। अधिकार क्षेत्र जवाबदावा में प्रतिवादियों द्वारा लिए गए बचाव पर निर्भर नहीं करता है। समग्र रूप से वाद को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी-अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों को अतिक्रमणकारी मानते हुए वर्तमान अपील को जन्म देते हुए मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने वादी-अपीलकर्ताओं के स्वामित्व से इनकार किया था। अब अतिक्रमणकारी के खिलाफ मुकदमा केवल दीवानी अदालत में होगा न कि राजस्व अदालत में। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि

वादी-अपीलकर्ताओं ने विवादित भूखंडों पर स्वामित्व की घोषणा का दावा नहीं किया था और शिकायत में उनके द्वारा जो कुछ भी स्थापित किया गया है वह मकान मालिक और किरायेदार का संबंध है।

6. हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह कहना बिल्कुल सही नहीं था कि वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों के आधार पर मुकदमा दायर किया गया था। वास्तव में, जब प्रतिवादियों ने वादीगण के स्वामित्व से इनकार किया। किरायेदारी मामले में उन्हें अतिक्रमणकारी मानते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया और मुकदमा पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के आधार पर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी संख्या 2 एक किरायेदार था, लेकिन किरायेदारी और वादी-अपीलकर्ताओं के स्वामित्व से इनकार करने पर उन्होंने प्रतिवादी को अतिक्रमणकारी मानते हुए एक मुकदमा दायर किया और एक अतिक्रमणकारी के खिलाफ मुकदमा केवल दीवानी अदालत में होगा, न कि राजस्व अदालत में।

7. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि वाद में लगाए गए आरोपों पर मुकदमा दीवानी अदालत द्वारा संज्ञेय था और उच्च न्यायालय ने वादी-अपीलार्थियों पर मुकदमा न करने में इस आधार पर कानूनी रूप से गलती की है कि दीवानी अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(13) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, उपरोक्त निर्णय अनुपात निर्णय के रूप में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमे की स्थिरता पर रोक के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, मुकदमे को दोनों पक्षों (दस्तावेजी और मौखिक) के नेतृत्व में अभिवचनों और साक्ष्य की जांच करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वैधानिक बाधा से आसानी से बचा जा सकता है। इस तरह का इरादा कानून का नहीं हो सकता।

(14) आइए अब हम पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 45 के संबंध में प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील की दलीलों की जांच करें। धारा 45, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति दीवानी मुकदमा दायर करने का हकदार है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 में लागू किया गया था। इसके बाद, आम भूमि से निपटने के लिए एक विशेष कानून

बनाया गया जिसे आम तौर पर शामलात देह के रूप में जाना जाता है। एक बार विवाद के निर्णय के लिए एक वैकल्पिक मंच का गठन करने के लिए एक विशिष्ट क़ानून तैयार किए जाने के बाद, भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 45 को आम भूमि (शामलात देह) से निपटने के लिए अधिनियमित विशिष्ट क़ानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। एक निर्दिष्ट विषय या संपत्ति से संबंधित एक निर्दिष्ट विषय को सामान्य प्रावधान पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र का प्रतिबन्ध निरपेक्ष है।

(15) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि निचली दोनों न्यायालयों ने वादी/उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमे को डिक्री करने में गलती की है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पक्षों को 1961 के अधिनियम की धारा 13-ए के तहत गठित मंच के समक्ष उपचार के लिए निर्वासित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, निचली न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्रीयो को दरकिनार करते समय, वर्तमान अपील की अनुमति है।

(16) एक बार यह माना गया है कि सिविल न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए, विवादित निर्णयों और डिक्रीयो में या इस आदेश में की गई कोई भी खोज/टिप्पणियां पक्षों को बाध्य नहीं करेंगी और संबंधित दावों का निर्णय लेने वाला मंच, दायर किए गए विवाद, यदि कोई हो, का स्वतंत्र रूप से निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(17) विविध आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

पायल मेहता

रेणु बाला

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और

निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।